संख्या-87/2018/699/22-4-18-48(53)/10

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-03 अगस्त, 2018

विषय- जिला कारागार, आगरा की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16093/नम-4/120, दिनांक- 27.04.2018 एवं पत्र संख्या-17535/नम(4)/120, दिनांक- 14.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, आगरा की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-463/22-4-2011-48(53)/10, दिनांक 23.02.2011 द्वारा रू0 578.02 लाख एवं पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश संख्या-118/2015/1642/22-4-14-48(53)/10, दिनांक 18.05.2015 द्वारा रू0 826.56 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 8,96,50,000/-(रूपया आठ करोड़ छियान्नवे लाख पचास हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि उच्च अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(10) भविष्य में पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(11) आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेश दिनांक 12.05.2017 एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों के द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3- प्रश्नगत योजनाओं की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 23.02.2011 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 18.05.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई0-12-1111/दस/2018, दिनांक-02 अगस्त,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-87/2018/699(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, आगरा।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in